राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांकःएफ.4(1)सशक्ति0/विधि/पंरा/2018/794 जयपुर दिनांकः11.6.2018

आज्ञा

पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण बाबत संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप आज्ञा क्र0 प.4(02)पंरावि/सशक्त/2010/27 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के कार्यकलाप एवं स्टाफ का हस्तान्तरण पंचायती राज संस्थाओं को किया गया था। इस प्रकार से हस्तान्तरित स्टाफ के स्थानान्तरण बाबत विस्तृत दिशा–निर्देश आज्ञा क्र0 प.4(02)पंरावि/सशक्त/2010/28 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा जारी किये गये थे। तत्पश्चात् इस प्रकार से हस्तान्तरित गतिविधियों एव स्टाफ के नियंत्रण हेतु दिनांक 14.3.2011 को राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 भी अधिसूचित किये गये, इन नियमों के नियम–8 में हस्तान्तरित स्टाफ के स्थानान्तरण बाबत प्रावधान वर्णित है।

उपरोक्त आज्ञा क्र0 प.4(02)पंरावि/सशक्त/2010/28 दिनांक 02.10.2010 एवं राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8 के अनुसार हस्तान्तरित स्टाफ के स्थानान्तरण बाबत प्रावधान इस प्रकार से हैः–

1. पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर स्थानान्तरण के अधिकार पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापन स्थायी समिति में निहित होंगे।
2. जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर स्थानान्तरण के अधिकार जिला परिषद् की प्रशासन एवं स्थापन स्थायी समिति में निहित होंगे।
3. अन्तर्ज़िला स्थानान्तरण के पूर्ण अधिकार राज्य सरकार के पैतृक विभाग में निहित होंगे। पैतृक विभाग हस्तान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सहमति उपरान्त कर सकेगा।
4. इसके पश्चात् विभागीय आज्ञा क्र0 10 दिनांक 14.3.2011 के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि हस्तांतरित कार्मिकों के शहरी क्षेत्र से शहरी

www.rajteachers.com

क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तथा अहस्तान्तरित संस्था से हस्तान्तरित संस्था में स्थानान्तरण के अधिकार पैतृक विभाग में रहेंगे, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तथा हस्तानतरित संस्थाओं से अहस्तान्तरित संस्थाओं में स्थानान्तरण के आदेश पंचायती राज विभाग की सहमति के उपरान्त पैतृक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि हस्तान्तरित गतिविधियों से सम्बन्धित पैतृक विभागों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है। इन विभागों द्वारा ज़िले के भीतर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जा रहे हैं, जबकि इस प्रकार के स्थानान्तरण सम्बन्धित ज़िला परिषदों द्वारा ही किये जाने है। यह भी ध्यान में आया है कि कतिपय ज़िला परिषदों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के तहत नियमानुसार ज़िले के भीतर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में हस्तान्तरित कार्मिकों के किये गये स्थानान्तरण आदेशों को सम्बन्धित पैतृक विभाग द्वारा स्वयं स्तर से आदेश जारी कर निरस्त किया गया है। उपरोक्त दोनों तरह की कार्यवाहियां विद्यमान प्रावधानों के विपरीत है। पैतृक विभाग की इस तरह की कार्यवाहियों/आदेशों के विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं भी दायर की गई है, जिससे राज्य सरकार को अनावश्यक न्यायायिक विवादो का सामना करना पड रहा है। यह स्थिति खेदजनक है।

अतः समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी पैतृक विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं की अधिकारिता क्षेत्र में हस्तानान्तरित कार्मिकों के स्थानानान्तरण आदेश जारी किये है अथवा किसी पंचायती राज संस्था द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र में उपरोक्त प्रावधानों के तहत जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त किया है तो उपरोक्त दोनो प्रकार के आदेशों को अविलम्ब प्रत्याहरित कर, इसकी सूचना आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करावें।

www.rajteachers.com

(डी0बी0 गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. विशिष्ठ सहायक, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।

4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, कृषि ।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ।
11. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
12. आयुक्त, कृषि विभाग।
13. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
14. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
15. संभागीय आयुक्त, समस्त।
16. जिला प्रमुख, ज़िला परिषद्, समस्त।
17. ज़िला कलेक्टर, समस्त ।
18. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला प्ररिषद, समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आज्ञा की प्रति समस्त प्रधान / विकास अधिकारीगण को प्रेषित करवायें तथा तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
19. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग ।
20. एसीपी, पंचायती राज को प्रेषित कर निर्देश हैं कि इस आज्ञा को विचभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

www.rajteachers.com

1/6/18

शासन सचिव एवं आयुक्त